भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 228
मंगलवार, 16 दिसंबर, 2025/25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों की विनियामक निगरानी को मजबूत करना

†*228. डॉ. निशिकान्त दुबेः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विनियामक निगरानी और मॉनिटरिंग को सुदृढ़ करने के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम के लिए किन-किन प्रमुख संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया है**;**

(ख) हाल में आरंभ हुए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू) का पाठ्यक्रम सहकारी क्षेत्र की वर्तमान डिजिटल और प्रबंधन आवश्यकताओं के किस प्रकार अनुरूप है**;**

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से तंत्र मौजूद हैं कि सभी पंजीकृत सहकारी समितियों की अनिवार्य लेखापरीक्षा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाए**;**

(घ) राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस की स्थापना ने निष्क्रिय सहकारी निकायों की पहचान करने और उनके पुनरुद्धार की प्रक्रिया को कितना सरल और सुकर बनाया है**;** और

(ङ) वर्तमान में निष्क्रिय सहकारी संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ङ): सदन के पटल पर एक विवरणी रखी गई है ।

डॉ. निशिकान्त दुबे और डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा “सहकारी समितियों की विनियामक निगरानी को मजबूत करना” के संबंध में पूछे गए दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 228 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) मौजूदा कानून के अनुसमर्थन द्वारा और सतानवेवां संविधान संशोधन के उपबंधों की अंतर्विष्ट करके बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तीकरण, पारदर्शिता में वृद्धि, जवाबदेही में बढ़ोतरी और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार, इत्यादि हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 को क्रमश: दिनांक 03.08.2023 और दिनांक 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया है ।

सहकारी समितियों के कार्यकरण में विनियामक पर्यवेक्षण और निगरानी को सशक्त करने और उनमें वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम हेतु उपर्युक्त संशोधन के माध्यम से अनेक उपबंध किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. बहुराज्य सहकारी समितियों में समयबद्ध, नियमित और पारदर्शी निर्वाचन कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का उपबंध शामिल किया गया है ।

ii. सदस्यों की शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सहकारी ऑम्बड्समैन की नियुक्ति ।

iii. पारदर्शिता में सुधार हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति ।

iv. पारदर्शिता में वृद्धि हेतु शीर्ष बहुराज्य सहकारी समितियों के संपरीक्षण रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुत किया जाना ।

v. लेखांकन और संपरीक्षा में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों के लेखांकन और संपरीक्षण मानकों का निर्धारण ।

vi. शासन और पारदर्शिता में सुधार हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों की वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड के ऐसे निर्णयों को शामिल करना जो सर्वसम्मति से न लिए गए हों ।

vii. केंद्रीय सरकार द्वारा थ्रिफ्ट और क्रेडिट का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों (तरलता, जोखिम, आदि) का निर्धारण ।

viii. बहुराज्य सहकारी समितियों में परिवारवाद और पक्षपात की रोकथाम हेतु किसी बहुराज्य सहकारी समिति का निदेशक उन विचार-विमर्शों में उपस्थित नहीं होगा या उन मामलों में मतदान नहीं करेगा जहां वह स्वयं या उसके परिजन हितबद्ध पक्ष हों ।

ix. शासन में सुधार के लिए निदेशकों की अयोग्यता के अतिरिक्त आधार बनाए गए हैं ।

x. सुरक्षित निवेश और औपनिवेशिक युग से संबंधित प्रतिभूतियों को हटाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा निधियों के निवेश के उपबंधों को पुन:परिभाषित किया गया है ।

xi. अधिक वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड द्वारा अन्य गठित समितियों के साथ संपरीक्षा और आचार समिति का गठन किया जाएगा ।

xii. शासन सशक्तीकरण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति की शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

xiii. बहुराज्य सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक निर्णयन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

xiv. यदि केंद्रीय पंजीयक को यह सूचना मिलती है कि कपटपूर्ण तरीके से या किसी गैरकानूनी प्रयोजन से व्यवसाय किया जा रहा है तो वह जांच पड़ताल करा सकता है ।

xv. यदि किसी बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा दुर्व्यपदेशन (misrepresentation), कपट, इत्यादि से पंजीकरण प्राप्त किया गया हो तो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसके परिसमापन का उपबंध किया गया है ।

xvi. बहुराज्य सहकारी समितियों के सामुहिक हितों के विरुद्ध सदस्यों को कार्य करने से हतोत्साहित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति के किसी निष्कासित सदस्य की निष्कासन अवधि को 1 वर्ष से बढ़ा कर 3 वर्ष कर दिया गया है ।

xvii. केवल कुछ ही सदस्यों द्वारा समिति के संसाधनों का लाभ लेने से रोकने के लिए, सहायक संस्थान के रूप में उन संस्थानों पर विचार नहीं किया जाएगा जिनमें बहुराज्य सहकारी समितियों के सदस्यों या उनके परिजनों द्वारा अधिसंख्य इक्विटी शेयर धारित किए गए हैं ।

(ख) "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी (TSU) रियल-लाइफ प्रबंधकीय मुद्दों और समाधानों को समझने के लिए प्रबंधन विषयों के उन्नत, सिमुलेशन और केस-अध्ययन आधारित शिक्षाशास्त्र को एकीकृत करके प्रतिभागियों को रियल वर्ल्ड रणनीतिक निर्णयन कौशल के साथ तैयार कर सहकारी समितियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है । इसके साथ ही इसके पाठ्यक्रम, नवीनतम डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए अत्याधुनिक डिजिटल दक्षताओं को विकसित करने पर संरेखित है । यह दोहरा फोकस सुनिश्चित करता है कि स्नातक और प्रशिक्षु अपने कार्यक्षेत्र में दक्षता, नवाचार और उत्पादकता को अग्रसर करने के लिए आवश्यक प्रबंधकीय कौशल और डिजिटल उपकरणों से लैस हों ।

(ग) बहुराज्य सहकारी समितियों में संपरीक्षण प्रक्रिया को सशक्त करने के लिए निम्नलिखित उपबंध विशिष्ट रूप से शामिल किए गए हैं:

i. 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर/जमा वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल द्वारा कॉनकरंट संपरीक्षण का उपबंध शामिल किया गया है । कॉनकरंट संपरीक्षण से धोखाधड़ी या अनियमितताएं, यदि कोई हो, का जल्द पता लग सकेगा और तदनुसार तत्काल सुधार किया जा सकेगा ।

ii. बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए संपरीक्षकों के निम्नलिखित दो पैनल अधिसूचित किए गए हैं:

1) पांच सौ करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी दशा हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सांविधिक संपरीक्षण हेतु संपरीक्षकों का पैनल ।

2) पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी दशा हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सांविधिक और कॉनकरंट संपरीक्षण हेतु संपरीक्षकों का पैनल ।

केंद्रीय सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों के लेखांकन और संपरीक्षा के निर्धारण हेतु एक उपबंध भी शामिल किया गया है । इसके अलावा,यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा अधिनियम की धारा 120क के अधीन लेखा वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर ऑनलाइन सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय पंजीयक को अपनी वार्षिक विवरणी दाखिल की जाएगी जिसमें अधिनियम की धारा 120 के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सूचनाएं होंगी:

(क) सर्वसम्मति से न लिए गए बोर्ड के निर्णयों का ब्योरा सहित कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

(ख) लेखा की संपरीक्षित विवरणी;

(ग) साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष निपटान की योजना;

(घ) बहुराज्य सहकारी समिति की उपविधियों के संशोधनों की सूची;

(ङ) साधारण निकाय की बैठक के आयोजन की तारीख तथा निर्वाचन, जहां नहीं हुए हैं, के संबंध में घोषणा;

(च) ऐसे कर्मचारियों का प्रकटन जो बोर्ड के सदस्यों के परिजन हैं;

(छ) निदेशक मंडल द्वारा किसी हितबद्ध पक्ष लेनदेनों की घोषणा;और

(ज) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में केंद्रीय पंजीयक द्वारा मांगी गई कोई अन्य सूचना ।

ऐसे रिटर्न जमा न करना अधिनियम की धारा 43 के उपबंधों के अधीन अयोग्यता का आधार बन सकता है।

(घ) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से वृहत राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) को विकसित किया गया है । NCD पोर्टल को 08 मार्च, 2024 को लॉन्च किया गया था । यह डेटाबेस देश भर की 8.4 लाख से भी अधिक सहकारी समितियों की सूचना का सिंगल पॉइंट एक्सेस प्रदान करता है । NCD पोर्टल के अनुसार दिनांक 15.11.2025 तक देश भर की कुल 8.45 लाख सहकारी समितियों में से 6.56लाख समितियां कार्यशील हैं, 1.39 लाख अकार्यशील हैं और 48,537 सहकारी समितियां परिसमापनाधीन हैं ।

सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स), डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को बहुद्देशीय सहकारी समितियों में रूपांतरित करने के लिए सक्रिय उपाय किए हैं । इस पहल का लक्ष्य सहकारी समितियों को आर्थिक कार्यकलापों की व्यापक श्रृंखला में शामिल होने में सक्षम बनाकर उनका व्यवसाय विविधीकरण करना, वित्तीय संधारणीयता सशक्त करना और बंद होने से बचाना है ।NCD का प्रयोग सहकारी समितियों की आच्छादित और अनाच्छादित ग्राम पंचायतों, दोनों में भौगोलिक प्रसार की कमियों की पहचान करने और 2 लाख नए बहुद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए किया जाता है । जहां कहीं संभव हो, निष्क्रिय समितियों को परिसमाप्त कर नए MPACSकी स्थापना की जानी है ।

इसके अतिरिक्त, सहकारिता मंत्रालय ने रुग्ण बहुराज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए और अवसंरचना आवश्यकता को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 63क के अधीन सहकारी पुनर्वास पुनर्गठन और विकास निधि की स्थापना की है ।

(ङ) कार्यशील, अकार्यशील और परिसमापनाधीन समितियों का राज्य-वार ब्योरा संलग्नक-। पर संलग्न है ।

*****

<u>संलग्नक-I</u>

सहकारी समितियों का राज्य-वार ब्योरा

क्रम सं.	राज्य के नाम	कार्यशील समितियां	अकार्यशील समितियां	परिसमापनाधीन समितियां
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,206	884	148
2	आंध्र प्रदेश	12,628	4,996	269
3	अरुणाचल प्रदेश	956	480	24
4	असम	7,723	3,415	1,184
5	बिहार	22,344	4,880	162
6	चंडीगढ़	196	221	59
7	छत्तीसगढ़	10,211	1,029	573
8	दिल्ली	1,939	3,989	16
9	गोवा	3,106	2,362	110
10	गुजरात	78,215	6,273	1,210
11	हरियाणा	14,937	3,089	16,378
12	हिमाचल प्रदेश	4,844	541	282
13	जम्मू और कश्मीर	8,913	1,662	5
14	झारखंड	7,912	3,897	188
15	कर्नाटक	40,231	3,446	3,131
16	केरल	15,142	3,752	770
17	लद्दाख	165	110	-
18	लक्षद्वीप	31	12	-
19	मध्य प्रदेश	27,370	18,423	8,852
20	महाराष्ट्र	2,17,759	3,057	3,907
21	मणिपुर	5,317	6,019	288
22	मेघालय	2,949	467	20
23	मिजोरम	1,290	175	81
24	नागालैंड	2,245	5,860	3
25	ओडिशा	7,560	500	107
26	पुडुचेरी	431	32	1
27	पंजाब	11,933	2,709	5,031
28	राजस्थान	25,491	13,419	3,035
29	सिक्किम	1,646	1,869	248
30	तमिलनाडु	21,103	1,200	777
31	तेलंगाना	48,186	12,297	377
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	379	157	33
33	त्रिपुरा	2,112	1,007	108
34	उत्तर प्रदेश	22,724	17,180	775
35	उत्तराखंड	4,728	1,465	159
36	पश्चिम बंगाल	22,952	8,949	226
	कुल	6,56,874	1,39,823	48,537

स्रोत: 15.11.2025को NCD पोर्टल के अनुसार